न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)

श्री उदा उर्फ उदयराम पुत्र श्री हजारी जाति रेगर (रैदास) उम्र 55 वर्ष निवासी इन्द्रगढ (सतकुडियां) तहसील मसूदा जिला अजमेर।

बनाम

1. श्री देबी पुत्र स्व0 श्री चतरा जाति मेरात उम्र बालिग
2. श्री कालू पुत्र स्व0 चतरा जाति मेरात उम्र बालिग
3. श्री सोहन पुत्र श्री चतरा जाति मेरात उम्र बालिग
4. सुरेश पुत्र चतरा जाति मेरात उम्र बालिग
5. लक्ष्मण पुत्र स्व0 श्री चतरा जाति मेरात उम्र बालिग
   समस्त निवासीयान खींमपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
6. श्री मति मीरा पुत्री स्व0 चतरा पत्नि नामालुम जाति मेरात उम्र बालिग निवासी खींमपुरा हाल निवासी कुशलपुरा पुराने ब्यावर के पास तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

1. श्री महेश पाण्डया
   वकील प्रार्थी
2. श्री अनिल कुमार मिश्रा व सलीम बाबू
   वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 उपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 13.04.2017

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम इन्दरगढ (सतकूडिया) स्थित आराजी ख0 न0 254 रक्बा 1.3355 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में वजिरा वल्द भोज्या कौम रावत के नाम अंकित है के लिए वाद प्रस्तुत किया है। वजिरा की मृत्यू सन् 1970 के आस पास हो चुकी थी। उसकी मृत्यू के बाद उसके एक मात्र वारिस काबिज जायदाद पुत्र श्री चतरा वल्द वजिरा ने विवादित आराजी को दिनांक 25.06.1975 को विल एवज प्रतिफल राशि रु 1000/– में प्रार्थी को बेचानकर बेचाननामा प्रार्थी के पक्ष में पंजीयन करवा दिया था तथा भोतिक रूप से ख0 न0 254 की आराजी का कब्जा प्रार्थी को विक्रय दिवस संमला दिया था तब से प्रार्थी इस पर सबकी जानकारी में बिना रोकटोक शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थी का नाम लगाने हेतु पटवारी से निवेदन करने पर भी समय निकालता रहा और प्रार्थी का नाम नही लगाया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी बाबत् प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाई जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने कथन किये है कि वाद ठोस तथ्यों पर नही लाया गया है अभिलेख की स्थिति को प्रार्थी को प्रमाणित करना है। स्व वजीरा के दो पुत्र चतरा एवं मंगला थे। वजीरा की मृत्यू के बाद चतरा ने प्रार्थी के हक में विवादित आराजी का बेचान नही किया था ना ही कब्जा भूमि संभलाया था। और न ही विवादित भूमि पर वादी का कब्जा रहा है। वाद वर्णित बेचाननामा कुटरचित है। प्रार्थना पत्र में चतरा के सभी वारसान को पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी का विवादित आराजी से कोई लेना देना नही है। प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की जाति मेहरात है तथा उनके पिता चतरा एवं दादा वजिरा की जाति भी मेहरात थी इसलिए रावत जाति से निष्पादित वाद वर्णित बयनामा दिनांक 24.06.1975 सर्वथा कुटरचित एवं फर्जी है। अलावा इसके बेचान दिवस वजीरा विवादित आराजी में खातेदार नही था। वह गैरखातेदार था उसके पक्ष में नियमन दिनांक 11.06.1986 क्रम संख्या 35 से की गई थी इसलिए विवादित आराजी का बेचान नही किया जा सकता था। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षान सुनी गई। प्रार्थी वकील के तर्क रहे कि विवादित आराजी उसे दिनांक 25.06.1975 को वजीरा के एक मात्र पुत्र चतरा ने बेचान कर कब्जा संभला दिया था। खरीद रोज से विवादित आराजी पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आता है। न्यायालय ने मेरे प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांक 25.01.2011 से अस्थाई निषेधाज्ञा दी हुई है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय ने भी एक तरफा में भी विवादित भूमि की यथा स्थिति को कायम रखा है। अतः यथा स्थिति कायम रखी जावे।

प्रार्थी अपने पक्ष में बेचाननामा 1975 का बताता है जिसके आधार पर उसके पक्ष में ना0 क0 दर्ज क्यों नही हुआ दावें में कोई कारण नही बताया है स्व वजीरा के और भी वारिस है। विवादित आराजी बेचान दिवस गैरखातेदार में थी जिसका बेचान धारा 41 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नही किया जा सकता। जेसा कि RRD 1990 पेज 596 में प्रतिपादित न्याय सिद्वांत से स्पष्ट है। वादी प्रार्थी ने विवादित भूमि बाबत् पुलिसथाना बिजयनगर में FIR दर्ज करवाई है जिस पर बाद जांच FR लगाई जा चुकी है जो मैने पेश की है रिकार्ड पर है। वादी प्रार्थी द्वारा एक अपील मैरे पक्ष के नामान्तकरण के विरूद्व न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर के यहा की जो आदेश दिनांक 09.02.2012 से खारिज की जा चुकी है जिसके कारण दावा स्वतः ही अबेट हो चुका है। वादी सिविल न्यायालय से ही रिलीफ प्राप्ति का अधिकारी है प्रार्थना पत्र निरस्त फर्माया जावे।

प्रार्थी वकील ने रिबुटल में तर्क दिये कि लगान खातेदार देता है बेचानामा मस्ट है मेरी झोपडी बनाकर विवादित भूमि मे काबिज हूँ। जिन्हे पक्षकार बनाना चाहिये था। उन्हे मैने बनाय है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर यथास्थिति कायम रखवाई जावे।

उभयपक्षान के तर्क वितर्क के संदर्भ में मैनें पत्रावली का अवलोकन किया वादी प्रार्थी के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25.01.2011 को विवादित आराजी की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्व अप्रार्थी देवी वल्द चतरा व अन्य ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर में अपील की अपील निर्णय दिनांक 14.08.2012 से अपील आंशिक स्वीकार करते हुए वाद के निस्तारण तक उभयपक्षान को विवादित आराजी की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार प्रार्थी अपीलार्थी उदा द्वारा न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर के यहां की गई अपील में न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09.12.2016 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि नामान्करण कार्यवाही फिक्सल प्रोसिडिंग मात्र है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के हको का निर्धारण नही किया जा सकता। अपिलांट अपने अधिकारों को सक्षम न्यायालय से जरिये नियमित राजस्व वाद तय करवाने हेतु स्वतंत्र है। एफ आई आर प्रकरण में प्रभावी नही है क्योकि मामला उभयपक्षान के दस्तावेजी साक्ष्य आदि पर तय होना है ऐसी स्थिति वकील अप्रार्थीगण के यह तर्क कि वाद स्वतः ही अबेट हो चुका है मान्य नही है।

जहां तक RRD 1990 पेज 598 का प्रश्न है वह राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत आंवटन से संबधित प्रकरण का है जिसके धारा 13 (A) बाद में जोड़ी गई हे जो दिनांक 05.08.83 से प्रभावशील हुई है जबकि विवादित आराजी सन् 1975 में वादी को विक्रय की गई है। जिसमें वजीरा वल्द भोजा मेहरात गैरखातेदार दर्ज रहा है। वजीरा को आंवटन कमेटी द्वारा आंवटित न कर पूर्व से काबिज चले आने से गैरखातेदार दर्ज किया गया है जिसका नियमन 1984 में किया गया है। इसलिए राज0 उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधान विचाराधीन प्रार्थना पत्र पर लागू नही होते। अप्रार्थीगण के अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किये है कि वजीरा के चतरा व मंगला दो पुत्र थे तो वजीरा की विरासत अकेले चतरा के वारिसान अप्रार्थीगण के नाम क्यों कर दर्ज हुई और मंगला के वारिसान का क्या हुआ इसी प्रकार अप्राथीगण देवी वगैरह का कथन है कि उनकी जाति मेरात है और उनके दादा वजीरा की जाति भी मेरात थी जबकि विक्रय पत्र रावत जाति से निष्पादित करवाया गया है। प्रकरण में वास्तविकता यह है कि चतरा वल्द वजीरा ने अपनी जाति मेरात निवासी खीमपुरा है से बेचाननामा दिनांक 24.06.75 को निष्पादित किया है जवाब प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी देवी ने शपथ पत्र भी पेश किया वर्तमान अभिलेख में वजीरा वल्द भोजा जाति

रावत दर्ज है यदि अप्रार्थीगण देबी वगैरह मेरात है तो उनके पक्ष में रावत जाति से विरासत दर्ज किया जाना भी संदेहास्पद स्थिति पेदा करता है। जो अप्रार्थीगण देबी वगैरह के न्यायालय के समक्ष क्लीन हैन्ड नही आना प्रदर्शित करता है। प्रकरण निस्तारण पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा वाद के निस्तारण तक ग्राम इन्दरगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 254 रक्बा 8.05.00 के राजस्व अभिलेख एवं मौके की स्थिति को यथास्थिति बनाए रखने हेतु तहसीलदार बिजयनगर एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को जरिये निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.26 16:43:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: